## रूप-पत्र 3-ग(2)
### प्रतिपर्ण

उत्तर प्रदेश संख्या.....
(उत्तर प्रदेश व्यापार कर नियम, 1948 के नियम 12-ख का उपनियम(7)(ख) देखिये)
( उस व्यापारी द्वारा जारी किया जायेगा जो उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर प्रथम क्रेता नहीं है और कर से मुक्त् के लिये दावा करता है)
(जारी करने वाले कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)
जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर.....जारी करने वाले कार्यालय की मुहर.....
जारी करने का दिनांक.....
उस व्यापारी का नाम और पता जिसे जारी किया गया.....
रजिस्ट्री प्रमाण पत्र की संख्या.....
दिनांक जब से रजिस्ट्री प्रभावी हो.....
.....(जारी करने वाले व्यापारी द्वारा भरा जाएगा) वर्ष जिसके सम्बन्ध में.....
मै(व्यक्ति का नाम और पदनाम)मैसर्स.....
.....
(नाम और पूरा पता)
प्रमाणित करता हूँ कि-
मै राज्य में प्रथम क्रेता नहींहूँ, कर से मुक्त का दावा करता हूँ
कि रूप पत्र मैसर्स.....
(फर्म का नाम और पता) को जारी किया जा रहा है।
इस रूप पत्र के अन्तर्गत आने वाले संव्यवहार पृष्ठ भाग पर दिये गये निदर्शन पत्र (प्रोफार्मा) में वर्णित है।
स्थान.....हस्ताक्षर.....
दिनांक.....नाम और पदनाम

| क्र. | बिल बिल का दिनांक | वस्तु की माल की मात्रा/माल का मूल्य | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सं. | सं. | मास और वर्ष | नाम | स.ख्या/भार | | मूल्य |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

हस्ताक्षर.....
नाम.....
पदस्थिति/नाम.....

## रूप-पत्र 3-ग (2)
### द्वितीय प्रति
### प्रतिपर्ण

उत्तर प्रदेश संख्या.....
(उत्तर प्रदेश व्यापार कर नियम, 1948 के नियम 12-ख का उपनियम(7)(ख) देखिये)
( उस व्यापारी द्वारा जारी किया जायेगा जो उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर प्रथम क्रेता नहीं है और कर से मुक्त् के लिये दावा करता है)
(जारी करने वाले कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)
जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर.....जारी करने वाले कार्यालय की मुहर.....
जारी करने का दिनांक.....
उस व्यापारी का नाम और पता जिसे जारी किया गया.....
रजिस्ट्री प्रमाण पत्र की संख्या.....
दिनांक जब से रजिस्ट्री प्रभावी हो.....
.....(जारी करने वाले व्यापारी द्वारा भरा जाएगा) वर्ष जिसके सम्बन्ध में.....
मै(व्यक्ति का नाम और पदनाम)मैसर्स.....
.....
(नाम और पूरा पता)
प्रमाणित करता हूँ कि-
मै राज्य में प्रथम क्रेता नहींहूँ, कर से मुक्त का दावा करता हूँ
कि रूप पत्र मैसर्स.....
(फर्म का नाम और पता) को जारी किया जा रहा है।
इस रूप पत्र के अन्तर्गत आने वाले संव्यवहार पृष्ठ भाग पर दिये गये निदर्शन पत्र (प्रोफार्मा) में वर्णित है।
स्थान.....हस्ताक्षर.....
दिनांक.....नाम और पदनाम

| क्र. | बिल बिल का दिनांक | वस्तु की माल की मात्रा/माल का मूल्य | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सं. | सं. | मास और वर्ष | नाम | स.ख्या/भार | | मूल्य |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

हस्ताक्षर.....
नाम.....
पदस्थिति/नाम.....

## रूप-पत्र 3-ग(2)
### मूल प्रति
### प्रतिपर्ण

उत्तर प्रदेश संख्या.....
(उत्तर प्रदेश व्यापार कर नियम, 1948 के नियम 12-ख का उपनियम(7)(ख) देखिये)
( उस व्यापारी द्वारा जारी किया जायेगा जो उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर प्रथम क्रेता नहीं है और कर से मुक्त् के लिये दावा करता है)
(जारी करने वाले कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)
जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर.....जारी करने वाले कार्यालय की मुहर.....
जारी करने का दिनांक.....
उस व्यापारी का नाम और पता जिसे जारी किया गया.....
रजिस्ट्री प्रमाण पत्र की संख्या.....
दिनांक जब से रजिस्ट्री प्रभावी हो.....
.....(जारी करने वाले व्यापारी द्वारा भरा जाएगा) वर्ष जिसके सम्बन्ध में.....
मै(व्यक्ति का नाम और पदनाम)मैसर्स.....
.....
(नाम और पूरा पता)
प्रमाणित करता हूँ कि-
मै राज्य में प्रथम क्रेता नहींहूँ, कर से मुक्त का दावा करता हूँ
कि रूप पत्र मैसर्स.....
(फर्म का नाम और पता) को जारी किया जा रहा है।
इस रूप पत्र के अन्तर्गत आने वाले संव्यवहार पृष्ठ भाग पर दिये गये निदर्शन पत्र (प्रोफार्मा) में वर्णित है।
स्थान.....हस्ताक्षर.....
दिनांक.....नाम और पदनाम

| क्र. | बिल बिल का दिनांक | वस्तु की माल की मात्रा/माल का मूल्य | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सं. | सं. | मास और वर्ष | नाम | स.ख्या/भार | | मूल्य |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

हस्ताक्षर.....
नाम.....
पदस्थिति/नाम.....